



कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी, छात्र संघ चुनाव 2024–25
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड –246174

Prof. S.C. Sati
Chief Election Officer

Contact : 9412989473

E-mail: hnbguelection2024@gmail.com

Ref. HNBGU/SUE/2024/01

Date : 19 /09 /2024

अधिसूचना : छात्र संघ चुनाव (2024–25)
बिड़ला परिसर श्रीनगर गढ़वाल

बिड़ला परिसर के समस्त नियमित (संस्थागत) छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2024–25 का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है—

पदाधिकारियों का नाम:

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| (क) अध्यक्ष (01) | (ख) उपाध्यक्ष (01) | (ग) सचिव (01) |
| (घ) सह सचिव (01) | (ड) कोषाध्यक्ष (01) | (च) कार्यकारणी सदस्य (06+01*) |
| (छ) विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि (यूआर०– 01) | | *छात्राओं हेतु आरक्षित |

कार्यक्रम:

| क्र. विवरण | दिनांक / समय / स्थान |
|---|---|
| 1. नामांकन तिथि | 23–09–2024 पूर्वान्ह 11:00 प्रातः से अपरान्ह 04:00 बजे तक |
| 2. नामांकन पत्रों की जाँच | 24–09–2024 पूर्वान्ह 11:00 प्रातः से अपरान्ह 02:00 बजे तक |
| 3. नामांकन वापसी की तिथि | 25–09–2024 पूर्वान्ह 11:00 प्रातः से अपरान्ह 02:00 बजे तक |
| 4. प्रत्याशियों के नामों की घोषणा | 26–09–2024 पूर्वान्ह 11:00 से 01:00 बजे अपरान्ह तक |
| 5. मतदान | अपरान्ह 4:30 बजे |
| 6. मतगणना | 01–10–2024 पूर्वान्ह 08:00 से अपरान्ह 02:00 बजे तक |
| 7. परिणामों की घोषणा | 01–10–2024 अपरान्ह 02:00 बजे से |
| 8. निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण | 01–10–2024 मतगणना पूर्ण होने के बाद |
| | 02–10–2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे (ए.सी.एल. हॉल) |

निर्देश:

- नामांकन पत्र चुनाव कार्यालय सीनेट हॉल में से दिनांक 23–09–2024 को प्रातः 10 बजे से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा नामांकन पत्र भरने के पश्चात् दिनांक 24–09–2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक चुनाव समिति के पास, चुनाव कार्यालय, सीनेट हॉल में जमा होंगे।
- छात्र संघ के सभी पदों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारणी के सदस्य तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हेतु नामांकन शुल्क रु० 1000.00 तथा नामांकन पत्र का मूल्य रु० 100.00 निर्धारित है।
- प्रत्याशी तथा उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक छात्रों का इस परिसर का नियमित / संस्थागत छात्र होना आवश्यक है। इस प्रमाण के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक व अनुमोदक स्वयं उपरिथित होकर अपनी मूल शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र लिपिक को दिखा कर नामांकन पत्र पर निर्धारित स्थान पर शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर करवायेंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र संकायाध्यक्ष एवं मुख्य नियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना आवश्यक है।
- चुनाव वर्ष 2024–25 में प्रत्याशी का कोई भी अकादमिक एरियर (बैंक) लम्बित नहीं होना चाहिये।
- छात्र संघ कार्यकारणी के 6 सदस्य किसी भी संकाय के हो सकते हैं तथा प्रत्येक प्रतिनिधि हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदक किसी भी संकाय का संस्थागत छात्र/छात्रा हो सकता/सकती है।
- स्नातक कक्षाओं के छात्र प्रत्याशियों को 01–07–2024 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशियों को 25 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल व्यावसायिक संस्थानों जिनमें स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि 4 से 5 वर्षों की है, अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट होगी।

7. प्रत्याशियों को हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रथम वर्ष से लेकर सभी कक्षाओं की अंकतालिकाएँ एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र) मूल रूप से दिखानी होगी एवं स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियाँ नामांकन पत्रों के साथ संलग्न करनी होगी। गैप वर्षों के लिए स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा गैप वर्षों में क्या किया गया।
8. मतदान स्थल पर मतदाता की पहचान, परिचय पत्र तथा प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न नियंता प्रपत्र से सुनिश्चित की जाएंगी आवश्यकता पड़ने पर आधार कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में मांगा जा सकता है।
9. जन्मतिथि एवं विश्वविद्यालय में नामांकन तिथि/वर्ष की सत्यता की जाँच कुल सचिव के कार्यालय से सुनिश्चित की जाएगी।
10. छात्र संघ चुनाव 2024–25 अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव आचार संहिता (लिंगदोह समिति के अनुसार) लागू कर दी जायेगी।
11. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/न्यायालय द्वारा विधिक रूप से दंडित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा/सकेगी। उक्त सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र, ₹ 10.00 स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कर देना होगा।
12. नियमों के उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करने या पूर्ण सूचना न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होंगे।
13. छात्र संघ निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी उनके प्रस्तावक/अनुमोदक व समर्थक तथा मतदाता सभी इसी परिसर के सत्र 2024–25 के नियमित/संस्थागत छात्र/छात्रा होंगे। प्रत्याशी को शपथ पत्र पर स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दी गयी सूचनाएँ सत्य हैं और किसी भी प्रविष्टि के असत्य पाये जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही उसका नामांकन/निर्वाचन अवैध घोषित किया जाएगा।
14. निर्वाचित छात्र संघ का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2024–25 होगा।
15. प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रसार में ₹ 5000.00 (पाँच हजार रुपये मात्र) की धनराशि व्यय करने का अधिकार होगा। इससे अधिक धन व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द किया जाएगा।
16. प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अंदर सम्पूर्ण चुनाव खर्च का प्रमाणित लेखा-जोखा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
17. प्रत्येक प्रत्याशी की अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
18. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र हितों में विभिन्न छात्र संघठनों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये संशोधनों व जारी किये गये निर्देशों के अधीन सम्पन्न की जाएगी।
19. छात्र संघ निर्वाचन के पश्चात यदि किसी भी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत मिलते हैं तो उस स्थिति में लॉटरी (ड्रॉ) प्रक्रिया अपनाकर विजेता घोषित किया जाएगा।


प्रो. (एस.सी. सती)
मुख्य चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
3. उपजिलाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/थानाध्यक्ष श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
4. निजी सचिव कुलपति मा. कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के सूचनार्थ।
6. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/मुख्य नियन्ता /मुख्य छात्रावास अधीक्षक
7. सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. सूचना पट, छात्र/छात्राओं के सूचनार्थ।
9. सम्पादक/संवादाता दैनिक जागरण, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र।


प्रो. (एस.सी. सती)
मुख्य चुनाव अधिकारी